न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 63 / 2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
   एफबीओ मैसर्सः— शिवाय डेयरी उद्योग, मम्मू कॉलोनी, भरतपुरा रोड महवा जिला दौसा।
   — अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 14.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.07.2022 को सायं 05:15 बजे मैसर्सः— शिवाय डेयरी उद्योग, मम्मू कॉलोनी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर एक पीले रंग के आईस बॉक्स में करीबन 32 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु एक किलोग्राम पनीर खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली स्टील की प्लेट में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा पनीर को चार बोतलों में बराबर—बराबर प्रत्येक बोतल में 20—20 बून्द फार्मलिन की डालकर बोतलो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों को पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3035 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 18.7.2022 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.07.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.07.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /524/एक्ट/2022/524 दिनांक 27.07.2022 के अनुसार अनसेफ व आरएफएल मैसूर के पत्रांक **FT/AQCL/FSSA(843F/2022** दिनांक 24.10.2022 सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा ना तो जवाब प्रस्तुत किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./524/एक्ट/2022/524 दिनांक 27.07.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की बी. आर. रीडिंग 49.2 पाई गई है। जो कि 40.0 से 44.0 के बीच होनी चाहिये थी। उक्त नमूने में **Test for added Neutralizers (carbonates/bicarbonates) Postive** पाया गया है। जो कि **Negative** होना चाहिये था। इस कारण यह नमूना अनसेफ पाया गया है। आरएफएल मैसूर के पत्रांक **FT/AQCL/FSSA(843F/2022** दिनांक 24.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डड पाया गया है क्योंकि पनीर के नमूने में मिल्क फैट 47.51 प्रतिशत ही पाया गया है जो कि कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिये था। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./524/एक्ट/2022/524 दिनांक 27.07.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अनसेफ व आरएफएल मैसूर के पत्रांक **FT/AQCL/FSSA(843F/2022** दिनांक 24.10.2022 के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड व अनसेफ खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अनसेफ व सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एफबीओ मैसर्सः–शिवाय डेयरी उद्योग, मम्मू कॉलोनी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा पर 25000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 14.06.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– .06.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एफबीओ मैसर्सः–शिवाय डेयरी उद्योग, मम्मू कॉलोनी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा